# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

**पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह (आर0ए0एस0)**

वाद पत्र संख्या– 135 / 2024

1. राधिका रावत पुत्री ओमप्रकाश रावत
2. लवीश रावत पुत्र ओमप्रकाश रावत

समस्त जाति रावत नि0 224,ओमशिव कॉलोनी झोटवाडा जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर।

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषण, दुरूस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0

उपस्थितः– 1. श्री दिव्यराज वीर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः– 10.01.2025

वादीगण द्वारा वाद बाबत् घोषण, दुरूस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0 इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 नया 346 की आराजी ख0न0 188, 189, 216 कुल किता कुल रकबा 1.1886 है0 वाकै ग्राम बोबास पटवार हल्का बोबास भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादी सं01 1/32 हिस्सा व वादी सं02 का 3/32 हिस्सा है।

वादीगण को उक्त आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है। जब विरासत का नामांतकरण खोला गया तब वादीगण नाबालिंग थे तथा बचपन मे वादीया सं01 को धनेशरी के नाम से पुकारते थे तथा वादी सं02 को लोकेश के नाम से पुकारते थे जिसके कारण जब वादीगण के पिता स्व0ओमप्रकाश का स्वर्गवास हो गया और विरासत का नामांतकरण खोला तब वादीगण का घर पर बोलचाल का नाम धनेशरी व लोकेश के नाम नामांतकरण सं0 1176 मे अंकित करते हुये उसकी अनुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी मे दर्ज कर दिया गया। जिसके कारण वादीगण का यही नाम जमाबंदी राजस्व रिकोर्ड मे चला आ रहा है। जबकि वादीया सं01 का रिकार्डेड वास्तविक सही नाम राधीका रावत व वादी सं02 का रिकोर्डेड वास्तविक सही नाम लवीश रावत है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वादीगण के समस्त शैक्षणिक रिकोर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधारकार्ड मे भी वादीया सं01 का नाम राधीका रावत व वादी सं02 का नाम लवीश रावत ही अंकित किया हुआ है। वादीगण की उपरोक्त खातेदारी मे बचपन का नाम चले जाने से वादीगण को अपनी भूमि को उन्नत व विकसित करने मे भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादीगण को अपनी उपरोक्त खातेदारी मे नाम दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने अपनी वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित आराजीयात मे नाम दुरूस्ती करने के लिए प्रतिवादी तहसीलदार जी से दिनांक 08.10.2024 को निवेदन किया तो उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी इसलिए यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोवनेर द्वारा दिनांक 09.12.2024 जवाब रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम बोवास की हाल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की खाता संख्या 346 की आराजी ख0न0 188, 189, 216 कुल किता कुल रकबा 1.1886 है0 खातेदार नावालिक धनेश्वरी पुत्री ओमप्रकाश संरक्षक सरपरस्त माता ममता हि0 1/32 जाति महाजन, नवालिग लोकेश पुत्र ओमप्रकाश संरक्षक सरपरस्त माता ममता हि0 3/32 जाति महाजन सा0 देह वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम वोवास की नामान्तरण संख्या 1176 दिनांक 02.12.2004 से जरिये फौती नामान्तकरण खातेदारी ओमप्रकाश पि0 राधेश्याम कौम महाजन के वजाय लोकेश, तनुज पि0 ओमप्रकाश, धनेश्वरी पुत्री ओमप्रकाश नाबालिक जरिये माता ममता पत्नी ओमप्रकाश व ममता पत्नी ओमप्रकाश महाजन के नाम स्वीकृत नामा0 हुआ है। वादीयान के पहचान पत्रों आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि वादीया संख्या 01 का नाम राधीका रावत का नाम आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र जारी कर्ता नगर निगम जयपुर तथा राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2020 की अंकतालिका में नाम राधिका रावत पुत्री ओमप्रकाश रावत दर्ज है। वादी संख्या 2 का नाम आधार कार्ड तथा जन्म प्रमाण पत्र में लविश रावत पुत्र ओमप्रकाश रावत दर्ज है। सहखातेदारान व अन्य ग्रामीणों से वाद के संबंध में पूछताछ करने पर पाया कि वादीगणों का नामांतकरण (फौती) उनके नाबालिक होने की अवस्था मे दर्ज कर दिया गया था। नाबालिक होने के कारण बोलचाल के नाम के अनुसार नामांतकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वास्तविक नाम राधिका रावत पुत्री ओमप्रकाश रावत एवं लवीश रावत पिता ओमप्रकाश रावत (पहचान पत्रानुसार) है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील वादीगण पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

**क्रियात्मक आदेश**

वादीगण का वाद बाबत् घोषण, दुरूस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बोबास के विवादग्रस्त खाता संख्या 346 की आराजी ख0न0 188, 189, 216 कुल किता कुल रकबा 1.1886 है0 में वादीया संख्या 1 का नाम धनेशरी पुत्री ओमप्रकाश के स्थान पर राधिका रावत पुत्री ओमप्रकाश तथा वादी संख्या 2 का नाम लोकेश पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर लवीश रावत पुत्र ओमप्रकाश दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/2025

**मुकुट सिंह (RAS)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**जोबनेर, जयपुर**